

बिहार सरकार  
पर्यटन विभाग  
कार्यालय आदेश

संवि०स०:-पर्य०वि०स्था० 22/2009 का०आ०सं० 92 दिनांक 05-12-13  
महिला विकास निगम बिहार के पत्रांक 1900/12-13 दिनांक 22.02.2013 के आलोक में  
विशाखा मार्गदर्शिका के अनुकूल यौननिवारण समिति के आलोक में पर्यटन  
विभाग/निदेशालय के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने एवं  
तत्संबंधी शिकायतों/परिवादों के निष्पादन हेतु समिति का गठन किया जाता है, जो  
निम्न प्रकार है:-

1.	श्रीमती ममता मीनाक्षी विशेषकार्य पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	श्री ज्योति रंजन दास प्रशाखा पदाधिकारी	सदस्य
3.	श्रीमती लीना कुमारी पर्यटक सूचना अधिकारी	सदस्य

उक्त समिति नियमित रूप से बैठक कर कृत कार्रवाई की सूचना समाज कल्याण  
निदेशालय को भेजेगी।

पूर्व के निगत कार्यालय आदेश संख्या 13 दिनांक 07.03.2013 को इस हद तक  
संशोधित समझा जाय।

ह०/-

विशेष सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक

ज्ञापांक:- पर्य०वि०स्था० 22/2009

प्रतिलिपि:-निदेशक समाज कल्याण निदेशालय को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक

ज्ञापांक:- पर्य०वि०स्था० 22/2009

प्रतिलिपि:-प्रधान आप्त सचिव/निदेशक पर्यटन निदेशालय/विशेष सचिव/संयुक्त  
सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/श्रीमती लीना कुमारी  
पर्यटक सूचना अधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक 05-12-13

ज्ञापांक:- पर्य०वि०स्था० 22/2009 3829

प्रतिलिपि:-विभागीय आई०टी०मैनेजर को यह निदेश दिया जाता है कि इसकी सूचना  
विशाखा मार्गदर्शिका निगम के वेबसाइट [wdcbihar.org.in](http://wdcbihar.org.in) पर अपलोड कर दे। ✓

विशेष सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।